भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.221
05 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत निर्मित घर

221 **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमएवाई-यू की घोषणा के बाद से देश भर के शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत बनाए गए घरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पीएमएवाई-यू की घोषणा के बाद से हरियाणा राज्य के शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत निर्मित घरों और आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में, कौन-कौन से राज्य सबसे प्रभावी रहे हैं और इसके विशिष्ट कारण, यदि कोई हो, क्या हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): आवासन और शहरी मंत्रालय ''सभी के लिए आवास'' मिशन के तहत देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) क्रियान्वित कर रहा है। 29.01.2024 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई -यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कुल 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कुल आवासों में से, 114.01 लाख आवास निर्माणाधीन है, 80.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं और शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। हरियाणा राज्य के लिए पीएमएवाई-यू के तहत कुल 1,15,034 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से, 93,042 निर्माणाधीन हैं और अब तक 66,727 आवास पूरे हो चुके हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत आवासों की वर्ष वार मंजूरी के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। वैध मांग सर्वेक्षण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसे आगे केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

*****